

बिहार सरकार नगर विकास एवं आवास विभाग

प्रेषक,

राजीव शंकर,
सरकार के संयुक्त सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार (ले० एवं ह०),
बिहार, पटना।

*द्वारा-आन्तरिक वित्तीय सलाहकार

पटना, दिनांक-

विषय:- निर्गत विभागीय राज्यादेश संख्या-301, दिनांक-28.01.2025 की स्वीकृति को रद्द करने के संबंध में।

आदेश:- स्वीकृत।

विभागीय राज्यादेश संख्या-130, दिनांक-26.07.2023 द्वारा नगर परिषद्, टिकारी क्षेत्रान्तर्गत जयनन्दन विगहा देवी स्थान से लेकर टिकारी कुर्था मुख्य सड़क तक पथ का सुदृढीकरण एवं कालीकरण कार्य हेतु कुल राशि ₹67.93600 लाख (सड़सठ लाख तिरानवे हजार छः सौ रुपये) मात्र का प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करते हुये तत्काल ₹37.93600 लाख (सैंतीस लाख तिरानवे हजार छः सौ रुपये) मात्र आवंटित किया गया। तत्पश्चात् विभागीय राज्यादेश संख्या-301 दिनांक-28.01.2025 द्वारा शेष राशि ₹27.23981 लाख (सत्ताइस लाख तेईस हजार नौ सौ इक्यासी रुपये) मात्र वित्तीय वर्ष 2024-25 में आवंटित किया गया था, जिसकी निकासी कतिपय कारणों से नहीं हो पाई।

2. अतः विभागीय राज्यादेश संख्या-301 दिनांक-28.01.2025 द्वारा आवंटित राशि के व्यय की स्वीकृति को रद्द किया जाता है।

3. प्रस्ताव में सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह०/-

सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक-04/सड़क-01-23/2026

63

/न०वि०एवंआ०वि०/पटना, दिनांक-16/06/26

प्रतिलिपि:-संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/संबंधित जिला पदाधिकारी/कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद्, टिकारी/संबंधित कोषागार पदाधिकारी/कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना/योजना एवं विकास विभाग/वित्त विभाग (बजट प्रशाखा)/सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग के आप्त सचिव/विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/स्थानीय लेखा परीक्षक, पटना/अवर सचिव-सह-व्ययन पदाधिकारी, नगर विकास एवं आवास विभाग/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा-02, 04 एवं 06 नगर विकास एवं आवास विभाग/विभागीय आई०टी० मैनेजर को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के संयुक्त सचिव।